राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1214/2012/झुन्झुनूँ
सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी
वार्ड–प्रथम,झुन्झुनूँ — अपीलीर्थी

बनाम

मैसर्स इण्डिया स्टोन क्रेशर कम्पनी
झुन्झुनूँ — प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री सुनील शर्मा,सदस्य

उपस्थितः
श्री डी.पी.ओझा
उप राजकीय अभिभाषक — अपीलार्थी की ओर से
श्री वी.सी.सोगानी
अभिभाषक — प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांकः 09.01.2015

निर्णय

यह अपील सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड–प्रथम,झुन्झुनूँ (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) की ओर से उपायुक्त(अपील्स), वाणिज्यिक कर, बीकानेर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 207/आरवैट/झुन्झुनूँ/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 09.01.2012 के विरूद्ध पेश की गयी हैं।

प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी के वर्ष 2007–08 का कर निर्धारण स्व कर निर्धारण योजना के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 23 के अन्तर्गत दिनांक 15.12.2009 को पारित किया गया था,जिसमें कर निर्धारण अधिकारी द्वारा स्टोन डस्ट की बिक्री पर 12.5 प्रतिशत की दर से करारोपण किया गया था। उक्त करारोपण किये जाने के विरूद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर प्रकरण प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा करारोपण करने से पूर्व प्रत्यर्थी व्यवहारी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नही किया गया,जिससे नैसर्गिक न्याय सिद्धान्तों की पूर्णतः अवहेलना हुई है, अतः प्रत्यर्थी व्यवहारी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए एवं बाद जांच प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा विक्रय किये गये बजरी/स्टोन डस्ट सामान्य बोलचाल की भाषा में किस नाम से बिक्री की जाती है एवं उसका उपभोक्ताओं द्वारा किस रूप में प्रयोग किया जाता है, उस आधार पर कर देयता अवधारित करते हुए पुनः आदेश पारित करें। अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.01.2012 के द्वारा प्रकरण प्रतिप्रेषित किये जाने के विरूद्ध यह अपील कर निर्धारण अधिकारी की ओर से प्रस्तुत की गई है।

अपील की सुनवाई के समय प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा निर्णय दिनांक 09.01.2012 से प्रकरण प्रतिप्रेषित किया

गया था, जिसकी पालना में कर निर्धारण अधिकारी ने पुनः वर्ष 2007–08 का कर निर्धारण दिनांक 11.02.2014 को पारित कर दिया गया है इसलिए जिस आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई थी, वह आदेश अब अस्तित्व में नहीं रहा है. । अतः अपील सारहीन **(Infructuous)** हो जाने से अस्वीकार योग्य है। उन्होंने अपने कथन के समर्थन में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस बी सिविल सेल्स टैक्स रिवीजन नम्बर 199/2009 सहायक आयुक्त, हनुमानगढ बनाम मैसर्स मोहित ट्रेडिंग (टैक्स अपडेट वाल्यूम 25 पार्ट–2)पेज 59 निर्णय दिनांक 13.07.2009 एवं राजस्थान कर बोर्ड की माननीय खण्डपीठ द्वारा अपील संख्या 1290/2008/अलवर सहायक आयुक्त,वृत बी,भिवाडी बनाम मैसर्स ओरियन्ट सिन्टैक्स लिमिटेड,भिवाडी में पारित निर्णय दिनांक 18.05.2010 को उद्धृत कर अपील अस्वीकार करने का निवेदन है ।

अपीलार्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक द्वारा विद्वान अभिभाषक के कथन का विरोध करते हुए गुणववगुण पर निर्णय करने का तर्क प्रस्तुत किया।

दोनों पक्षों की बहस पर मनन किया गया तथा अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 09.01.2012 एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया। अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.01.2012 के अवलोकन पर ज्ञात होता है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पुनः जांच कर आदेश पारित करने हेतु प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया। बहस के दौरान प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि उक्त प्रतिप्रेषित आदेश के अनुसरण में कर निर्धारण अधिकारी ने पुनः कर निर्धारण आदेश दिनांक 11.02.2014 को पारित किया जा चुका है।

अतएव अपीलीय अधिकारी के प्रतिप्रेषित आदेश दिनांक 09.01.2012 की पालना में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पुनः कर निर्धारण आदेश पारित कर दिये जाने से अब अपीलीय अधिकारी के प्रकरण प्रतिप्रेषित करने सम्बन्धी अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध विचाराधीन अपील चलने योग्य नहीं रहती है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त **सहायक आयुक्त हनुमानगढ़ बनाम मैसर्स मोहित ट्रेडिंग [(2009) 25 टैक्स अपडेट 59] एवं राजस्थान कर बोर्ड की माननीय खण्डपीठ द्वारा अपील संख्या 1290/2008/अलवर सहायक आयुक्त,वृत बी,भिवाडी बनाम मैसर्स ओरियन्ट सिन्टैक्स लिमिटेड,भिवाडी** में पारित निर्णयों में भी ऐसा ही सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है।

परिणामतः राजस्व की ओर से अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.01.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई प्रश्नगत अपील सारहीन (Infructuous) हो जाने से एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(सुनील शर्मा)
सदस्य